## -:प्रेस नोट:-

**दिनांक- 12.06.2025**

# कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप थाना बदौसा क्षेत्र में वर्ष-2020 में व्यक्ति की मारपीट कर हत्या करने वाले 03 अभियुक्तों को दिलाई गई सश्रम आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

**विवरण**– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2020 में थाना बदौसा क्षेत्र में व्यक्ति को मारपीट कर हत्या करने वाले 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि थाना बदौसा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जमुनियापुरवा के रहने वाले उमादत्त को दिनांक 12.01.2020 की शाम को गांव के ही 1-छेदीलाल पुत्र जगन्नाथ, 2-खुशीलाल उर्फ आनंद यादव पुत्र छेदीलाल व 3-लालजी उर्फ जयनारायण पुत्र गेंदालाल यादव द्वारा मारपीट कर गंभीर रुप से घायल कर दी गई थी। इस सम्बन्ध में मृतक के पुत्र रामभजन यादव की तहरीर पर थाना बदौसा किया गया था जिसकी विवेचना निरी0 श्री नरेश प्रजापति द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। अभियोजक श्री श्रवण तिवारी द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी शिप्रा सचान तथा पैरोकार आरक्षी राहुल वर्मा के अथक प्रयासों से मा0 न्यायालय बांदा द्वारा तीनों अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

**अभियुक्त-**

1. छेदीलाल पुत्र जगन्नाथ निवासी जमुनियापुरवा थाना बदौसा जनपद बांदा।
2. खुशीलाल उर्फ आनंद यादव पुत्र छेदीलाल निवासी जमुनियापुरवा थाना बदौसा जनपद बांदा।
3. लालजी उर्फ जयनारायण पुत्र गेंदालाल यादव निवासी जमुनियापुरवा थाना बदौसा जनपद बांदा।